127

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1164-पीबीआर/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-09-08 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना का प्रकरण क्रमांक 138/2007-08/अपील

.....

1- महिला जीगन्दे बेवा राजाराम
निवासी-ग्राम सिंघारदे, तहसील सबलगढ़
जिला-मुरैना (म.प्र.)

2- पुन्नो पुत्री राजाराम पत्नी रमेश कुशवाह
निवासी-ग्राम ऊपचा तहसील विजयपुर
जिला-श्योपुर (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

लालाराम पुत्र ग्यासिया
निवासी-ग्राम सिंघारदे, तहसील सबलगढ़
जिला-मुरैना (म.प्र.)

----------अनावेदक

.....

श्री डी.एस. चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.पी.धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/4/2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-09-08 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिंघारदे स्थित प्रश्नाधीन भूमि का वारिसाना के आधार पर नामांतरण किये जाने बावत सरपंच ग्राम पंचायत बरखेड़ा के समक्ष आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र पेश किया तथा दूसरा आवेदन पत्र अनावेदक लालराम द्वारा वसीयतनामा के आधार पर पेश किया गया । नामांतरण विवादित हो जाने के कारण तहसील न्यायालय में प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु भेजा गया । तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 19-06-2006 से अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में वारिसाना नामांतरण स्वीकार करते हुये । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के समक्ष अपील पेश की, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 35/2005-06/ अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-2007 से प्रस्तुत अपील स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29-10-2007 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 138/2007-08/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 04-09-08 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत आदेश मानते हुये यथावत रखा है तथा प्रस्तुत द्वितीय अपील को अस्वीकार किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरणका अवलो0कन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी राजाराम थे। राजाराम की मृत्यु के उपरांत आवेदकगण ने वारिसान के आधार तथा अनावेदक ने वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय ने दिनांक 19-06-2006 से वारिसान नामांतरण स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने अपने निष्कर्षो में यह पाया है कि विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया है कि विचाराधीन वसीयत रजिस्टर्ड थी तथा वसीयत के दोनों गवाहों द्वारा साक्ष्य

से सिद्ध किया गया था। इसी कारण अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। आवेदकगण द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालय में वसीयत के संदिग्ध होने अथवा साक्ष्य सिद्ध न होने के संबंध में कोई आधार अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वसीयत संदिग्ध प्रकट होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तार से विवेचना कर रजिस्टर्ड वसीयत को सिद्ध पाते हुये नामांतरण आदेश पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता ।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,